

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्राचार्य एवं समकक्ष पद के निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को राजस्थान सिविल सेवा नियम (पेंशन नियम) 1996 के नियम 50(1) प्रावधानान्तर्गत शर्तें पूर्ण करने पर एवं इनके स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर इनके नाम के सामने कॉलम संख्या 07 में अंकित दिनांक से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	पद	पदस्थापन स्थान	राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहे जाने की दिनांक
01	02	03	04	05	06	07
01	प्रदीप कुमार RJB1199309000859	09.12.1963	(प्रधानाचार्य)	सेठ भैरुदान चौपडा रा.उ.मा.वि. गंगाशहर, (211250), बीकानेर	27-09-1993	19-09-2023

उपर्युक्त कार्मिक के संबंध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक :-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/एबी/ए-3/प्रदीप कुमार/2023/14

दिनांक : 28.07.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
- संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बीकानेर/नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित कर पाबंद किया जाता है कि उक्त उल्लेखित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने वाले प्राचार्य एवं समकक्ष शिक्षा अधिकारी से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही आगामी कार्यवाही अमल में लावें। इस हेतु आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
- सहायक निदेशक, (विभागीय जांच), कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक की स्वै.से.नि. तिथि तक किसी प्रकार की जांच प्रारंभ की जाती है तो तत्काल सूचित किया जावे।
- अनुभाग अधिकारी, डी.पी.सी./वरिष्ठता अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक को पालनार्थ।
- प्रभाग, संस्थापन बी1-2, अनुभाग हाजा।
- निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.07.27 19:33:23 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4356601

